

187

न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. 2844-I/2016 ~~विवादाधीन~~

शंकरलाल सेन पुत्र ग्यासी लाल सेन निवासी ग्राम
सटई तह. विजावर जिला छतरपुर

--- आवेदक

विरुद्ध

बैनी वाई पत्नी देवीदीन कुर्मी

मृत वारिसान

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. मोतीराम | } पुत्रगण
देवीदीन कुर्मी |
| 2. राममिलन | |
| 3. मुन्नालाल | |

निवासी ग्राम सटई तह. विजावर जिला छतरपुर
म.प्र.

--- अनावेदकगण

Jashu
(22.0.16)

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त देवरा तह. विजावर जिला
छतरपुर के प्र.क. 21/अ-3/2014-15 में पारित आदेश दिनांक
21.07.2015 के विरुद्ध निगरानी जानकारी दिनांक 11.08.2016 से
अवधि अन्दर प्रस्तुत।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2844-एक/2016

जिला-छतरपुर

शंकरलाल सेन विरुद्ध बैनीबाई (मृतक) वारिसान-मोतीराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
12-02-2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त देवरा, तहसील विजावर, जिला-छतरपुर के प्र.क्र. 21/अ-03/2014-2015 में पारित आदेश दिनांक 21-07-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैम) सदस्य</p> <p>12/02/2019</p>